पत्रांक- एम.4-11/2006- 5419 वि0(2)

बिहार सरकार

प्रेषक, वित्त विभाग

के. एम. शर्मा,
संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी आरक्षी महानिरीक्षक
सभी आरक्षी उप महानिरीक्षक
सभी जिला पदाधिकारी
सभी आरक्षी अधीक्षक

पटना, दिनांक- 19.08.2006

विषय :- सरकारी खर्च पर समाचार पत्र, पत्रिकायें एवं टी.वी खरीदने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभागीय पत्रांक - 2947 वि0(2) दिनांक 09.05.2006 को अवक्रमित करते हुये मितव्ययिता के दृष्टिकोण एवं लोकहित की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार ने सरकारी खर्च पर समाचार पत्र, पत्रिकायें एवं टी.वी. के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिये हैं :-

(i) माननीय मुख्य मंत्री कार्यालय, माननीय उप मुख्य(वित्त) मंत्री कार्यालय, राज्य सरकार के मंत्रिगण एवं मंत्री स्तरीय दर्जा प्राप्त गणमान्य व्यक्तियों, महाधिवक्ता कार्यालय तथा राज्य सरकार के सचिव स्तरीय पदाधिकारियों, प्रमंडलीय आयुक्तों, आरक्षी महानिरीक्षकों, आरक्षी उप महानिरीक्षकों, जिला समाहर्त्ताओं, आरक्षी अधीक्षकों तथा विभागाध्यक्षों के कार्यालयों में सभी प्रमुख समाचार पत्र/पत्रिका अनुमान्य होगि । इन पर मासिक व्यय की अधिकतम सीमा 800/- रूपये होगी ।

(ii) उक्त कार्यालयों के लिये एक रंगीन टी.वी. भी अनुमान्य होगा जिसकी अधिकतम सीमा 12000/- रूपये होगी ।

(iii) सभी प्रमुख कार्यालयों में विभाग के विषय से संबंधित Professional Journal/पत्रिकायें अनुमान्य होंगी । इसके संबंध में आयुक्त एवं सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष निर्णय लेंगे एवं इसकी अधिकतम सीमा 2000/- रूपये प्रतिमाह होगी ।

2. कुल व्यय कार्यालय व्यय में उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत ही सीमित रहेगा ।
3. यह सुविधा दिनांक 01.05.2006 से अनुमान्य होगी ।

विश्वासभाजन,
(के. एम. शर्मा)
संयुक्त सचिव